राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

एफ 4(385) प्रा.शि./एमडीएम/ खाद्यान्न (दाल) /2018–19/ 993 जयपुर, दिनांक : 31-10-2018

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा

विषयः– मिड डे मील योजना में नेफेड द्वारा आपूर्ति की जा रही दालों के उठाव व वितरण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मिड डे मील कार्यक्रम में केन्द्रीय व्यवस्था के तहत नेफेड से प्राप्त दालों का उपयोग दिनांक 01.11.2018 से किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि नेफेड द्वारा आपूर्ति की गई दालों का, खाद्यान्न के साथ ही अतिशीघ्र उठाव कर विद्यालयों में वितरित करें। जिन विद्यालयों में दालें आपूर्ति नहीं हो पायें वहाँ सम्बन्धित विद्यालय अपने स्तर पर पूर्व प्रक्रिया अनुसार दालों का क्रय कर मिड डे मील कार्यक्रम निर्धारित निर्देशों के अनुसार संचालित करें। नेफेड द्वारा विलम्ब से सप्लाई की गई दालों का उठाव अगली तिमाही में किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः यह सुनिश्चित करें कि दालों की सप्लाई समय पर नहीं होने की स्थिति में अथवा अन्य किसी भी कारण से मिड डे मील कार्यक्रम बाधित नहीं हो।

पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

आयुक्त
मिड डे मील

एफ 4(385) प्रा.शि./एमडीएम/ खाद्यान्न (दाल) /2018–19/ जयपुर, दिनांक :

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त जिला कलक्टर्स।
3. रक्षित पत्रावली।

अति.आयुक्त (वित्त)

www.rajteachers.com

DOCUMENT1